न्यायालय श्री मान् राजस्व मन्डल म०प्र० ग्वालियर

(148)

राजस्व प्रकरण क्र० १६६

---

2 Rs COURT FEE भारत दो रु TWO RU | 2 Rs COURT FEE भारत दो रु TWO RU | 2 Rs COURT FEE भारत दो रु TWO RU | 50 P. COURT FEE भारत 50 पैसे | 50 P. COURT FEE | 50 P. COURT FEE INDIA 50 पैसे 50 PAISE

RM/0-11/PA/445/96

रमाशंकर तनय रामाश्रय ब्रा० निवासी ग्राम दुवगवा कुमियान तहसील मऊगंज, जिला रीवा म०प्र० ------- आवेदक

श्री एल० एन० मिश्रा अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 24-4-96 को मय टिकिट पर प्रस्तुत / 24-4-96

वनाम

मृतक श्री मती तिजिया विधवा पत्नी रामसुन्दर सा० दुवगवा तहसील मऊगंज, जिला रीवा म०प्र० मृत जरिये वसीयत गृहीता अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ अनुरुद्ध प्रसाद तनय रमाशंकर ब्रा०, निवासी ग्राम दुवगवा कुमियान, तहसील मऊगंज, जिला रीवा म०प्र०

--------- अनावेदक

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा दि० २९-२-९६ जो अपील प्रकरण क्र० २८२। अपील। ९०-९१ मे पारित किया गया। निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भूराजस्व संहिता सन १९५९ ई०

---

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारो पर प्रस्तुत है:-

१- यहकि निर्णय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त कियेजाने योग्यहै।

२- यहकि अधी० न्यायालय ने मृत आवेदिका श्रीमती तिजिया के स्थान पर पक्षकार बनाये

-२

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 475/1996 जिला–रीवा

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 26–9–16 | आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित।<br>2/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र0क्र0 282/अपील/1990–91 में पारित आदेश दिनांक 29.02.96 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा–50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है ।<br>3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्कों पर में वही तर्क दौहराये, जो निगरानी मेमो में अंकित है।<br>4/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। निगरानी मेमो एवं उसके संलग्न आक्षेपित आलोच्य आदेश दिनांक 29.02.96 सहित संलग्न आवश्यक अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया । प्रकरण में उपरोक्त समग्र परिस्थितियों को देखते हुये यह पाया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की । अनुविभागीय अधिकारी ने यह मानते हुये कि तहसीलदार का आदेश संहिता की धारा 115–116 के परिसीमा के अंतर्गत नहीं आता । इसलिये उन्होंने नायब तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर दिया । यद्यपि इस | |

प्रकरण में दो महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न यह है कि–

1. क्या म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 115–116 के अन्तर्गत कब्जा अंकित किया जा सकता है?
2. क्या संहिता की धारा 115–116 के अन्तर्गत नवीन प्रविष्टि की जा सकती है?

**संहिता की धारा 115 में यह प्रावधानित है कि–**

**115. खसरा तथा किन्हीं अन्य भू–अभिलेखों में गलत प्रविष्टि का वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा शुद्धिकरण–** यदि किसी तहसीलदार को यह पता चले कि उसके अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू–अभिलेखों में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि की गई है, तो वह सम्यक् लिखित सूचना देने के पश्चात सम्बन्धित व्यक्तियों से ऐसी पूछ–ताछ करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, उसमें आवश्यक परिवर्तन (लाल स्याही से) किये जाने का निर्देश देगा।

उक्त धारा की व्याख्याएं राजस्व मण्डल एवं मान0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णीत प्रकरणों में की गई हैं जिनके उद्धरण से इस धार पर पर्याप्त प्रकाश पडता है, जो इस प्रकार हैं–

1995 आर एन 274 बरफीबाई तथा अन्य विरूद्ध राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर तथा अन्य में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

"भू–राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.) – धारा 115–व्याप्ति– तहसीलदार द्वारा स्वयं पूर्वतर प्रविष्टि किया जना निदिष्ट – बाद में धारा 115 का आश्रय लेना अनुज्ञेय नहीं है।"

इसी प्रकार 1989 आर एन 4 रामदास विरूद्ध राजकुमार में इस न्यायालय के खंड पीठ द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

''भू–राजस्व संहित, 1959 (म.प्र.) – धारा 116 तथा धारा 115 – के बीच विभेद– धारा 115 के अधीन स्वप्रेरणा से कार्यवाही की जा सकती है – किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं – किन्तु धरा 116 के अधीन कार्यवाही केवल आवेदन पर ही की जा सकती है– धारा 116 के अधीन आवेदन – धारा 115 के अधीन विनिश्चित नहीं किया जा सकता।''

1997 आर एन 120 चंद्रमणि राय विरूद्ध मुस. रामकली तथा अन्य राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

भू–राजस्व संहित, 1959 (म.प्र.) – धारा 116 तथा 115 – एक वर्ष के भीतर की गई गलत प्रविष्टि ही सही कराई जा सकती है––कब्जे की प्रविष्टि के लिए विलंबित आवेदन नहीं किया जा सकता––कब्जे के वेश में हक से संबंधित प्रविष्टि का भी दावा नहीं किया जा सकता। 1963 रा नि 16 (खंड न्यायपीठ) अवलंबित।

2000 आर एन 177 मोहम्मद विरूद्ध मोहन राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

भू–राजस्व संहित, 1959 (म.प्र.) – धारा 115 तथा 116 – उपबंध– किसी भी पक्षकार का कब्जा लिखने के लिए उपयोग नहीं किए जा सकते –– तहसीलदार को स्थल पर जाना चाहिए–– भूमिस्वामी की भूमि पर किसी भी व्यक्ति का कब्जा लिखने के लिए पटवारी की रिपोर्ट

अथवा उसके साक्ष्य को आधार नहीं बताया जा सकता।

1995 आर एन 32 भारतसिंह विरूद्ध कमलसिंह तथा एक अन्य में राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

भू–राजस्व संहित, 1959 (म.प्र.) – धारा 116 तथा 32 – व्याप्ति –– भूमिस्वामी को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना कब्जे की प्रविष्टि का आदेश – अधिकारिता रहित है–धारा 116 के अधीन ऐसा आदेश पारित करते हेतु उपबंध नहीं– धारा 32 भी आकर्षित नहीं होती।

1995 आर एन 255 गौरी शंकर तथा एक अन्य विरूद्ध ठाकुरप्रसाद तथा एक अन्य में राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

भू–राजस्व संहित, 1959 (म.प्र.) – धारा 115 तथा 116 – तहसीलदार की अधिकारिता–नई प्रविष्टी नहीं की जा सकती – केवल भू–अभिलेख की विद्यमान गलत या अशुद्ध प्रविष्टी को सही किया जा सकता है।

इस संबंध में 1996 आर एन 295 वंशपतीसिंह विरूद्ध जगदीशसिंह में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

भू–राजस्व संहित, 1959 (म.प्र.) – धारा 115 – के अधीन कार्यवाही – संदेहपूर्ण– भूमिस्वामी को विधिपूर्ण तामील किए बिना अभिकथित अधिक्रामक का नाम प्रवि ट– आदेश कायम नहीं रह सकता।

**संहिता की धारा 116 में यह प्रावधानित है कि–**

**116. खसरा या किन्हीं अन्य भू–अभिलेखों में की गई प्रविष्टि के बारे में विवाद–** (1) यदि कोई व्यक्ति

धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू–अभिलेखों में की किसी ऐसी प्रविष्टि से व्यथित हो तो वह ऐसी प्रविष्टि के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उसके शुद्धिकरण के लिये तहसीलदार को आवेदन करेगा।

(2) तहसीलदार, ऐसी जॉच करने के पश्चात, जैसी कि वह उचित समझे, मामले में आवश्यक आदेश देगा।

उक्त धारा की व्याख्याएं राजस्व मण्डल एवं मान0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णीत प्रकरणों में की गई हैं जिनके उद्धरण से इस धार पर पर्याप्त प्रकाश पडता है, जो इस प्रकार हैं–

इस संबंध में 2005 आर एन 432 साहब सिंह तथा अन्य विरूद्ध चुन्ना में राजस्व मंडल द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है–

(1) भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) –– धारा 116– राज़स्व अभिलेख में विद्यमान प्रविष्टि ठीक करने के लिए उपबंध है– क़ोई नई प्रविष्टि नहीं की जा सकती जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। 1998 आरएन 211, 1988 आरएन 5 अवलंबित।

इसी प्रकार 1996 आर एन 340 परीमल सिंह विरूद्ध मु. बसंती देवी तथा अन्य में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) – धारा 116 – कब्जे की नई प्रविष्टि का दावा नहीं किया जा सकता–व्यक्ति को कोई हक प्राप्त नहीं – कब्जे में होने की प्रविष्टि नहीं की जा सकती– वह ऐसी प्रविष्टि की ईप्सा पिछले दरवाजे से आ कर नहीं कर सकता। 1994 आर एन 395, 411, 1995 आरएन 9 तथा 1986 आर एन 1 अवलंबित।

1994 आर एन 395 विष्णुप्रसाद तथा अन्य विरूद्ध दि नेशनल स्पिरिचुअल असेबली आफ दि वहाइज आफ इंडिया नई दिल्ली तथा अन्य में राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) – धारा 115 तथा 116 – व्याप्ति– कब्जा संबंधी नई प्रविष्टि–नहीं की जा सकती––तहसीलदार या किसी क्षेत्र कर्मचारी को गत वर्षों की किसी प्रकार की नवीन प्रविष्टि करने की अधिकारिता नहीं है–केवल चालू प्रविष्टियों में की गई किसी त्रुटि को शुद्ध किया जा सकता है। 1985 रा नि 16 अवलंबित।

1988 आर एन 55 मिठूशाह तथा अन्य विरूद्ध गोर अली तथा अन्य में राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) – धारा 115 तथा 116 – व्याप्ति––नवीन प्रविष्टि–इन धाराओं के अधीन नहीं की जा सकती। 1985 रा.नि. 16, 1975 रा0नि0 51 तथा 1965 रा0नि0 114 अवलंबित।

1986 आर एन 233 बल्देव तथा अन्य वि0 मुस. बुदउआ तथा अन्य में राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) – धारा 115 तथा 116 – इनके अधीन शक्तियों की सीमा–नवीन प्रविष्टि नहीं की जा सकती।

इस तरह म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि तहसीलदार को जब स्वयं यह ज्ञात होता है कि उसके अधीनस्थ किसी

अधिकारी ने धारा 114 के अन्तर्गत भू–अभिलेख में कोई त्रुटि की है तो तहसीलदार ऐसी त्रुटि में सुधार संबंधित पक्षकारों को सुनने के पश्चात कर सकेगा। यहां यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि धारा 115 में ऐसी त्रुटि सुधार करने की कार्यवाही को समय–सीमा से नहीं बांधा है जबकि धारा 116 में एक वर्ष की समय–सीमा का उल्लेख किया है। धारा 116 में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा आवेदन दिये जाने पर तहसीलदार द्वारा कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। दूसरे शब्दों में धारा 115 तहसीलदार को स्वयं कार्यवाही के लिए अधिकार प्रदान करती है जिसमें समयसीमा प्रावधानित नहीं है तथा धारा 116 के अन्तर्गत कार्यवाही किसी व्यक्ति के आवेदन पत्र दिये जाने पर की जा सकती है। जो भू–अभिलेख में की गई प्रविष्टि के एक साल के भीतर आवेदन देने पर की जावेगी।

किसी व्यक्ति को कब्जे इन्द्राज/नवीन प्रविष्टि हेतु संहिता की धारा 115–116 का सहारा लिया जाना विधिसंगत नहीं है।

2006 आर एन 104 चंदनसिंह विरूद्ध कृपाल सिंह में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है–

(1) भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) –– धारा 121, 115 तथा 116–– नि. 7 तथा 8 (धारा 121 के अधीन) –– नियमों में खसरा तैयार करने के लिए निर्देश और प्रक्रिया का उपबंध है –– नियमों के अधीन कोई मामला विनिश्चित नहीं किया जा सकता–– किसी भी धारा अर्थात 115, 116 तथा 121 के अधीन कब्जा अभिखित नहीं किया जा सकता –– कब्जा अभिलिखित करने के लिए धारा

121 के अधीन तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन फाईल नहीं किया जा सकता। 1995 आर एन 219, 2002 आर एन 59, 1994 आनएन 411, 1992 आर एन 13 तथा 180 आन एन 392 अवलंबित। 1992 आन एन 62 (उच्च न्यायालय) अनुसरित।

बिन्दु कमांक 1 पर निष्कर्ष– जहां तक वाद बिन्दु 1 का प्रश्न है कि क्या म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 115–116 के अन्तर्गत कब्जा अंकित किया जा सकता है, उपरोक्त वर्णित न्यायदृष्टातों एवं संहिता की धारा में अंकित प्रावधानों के प्रकाश में यह स्पष्ट हो चुका है कि संहिता की धारा 115–116 के अन्तर्गत कब्जा अंकित नहीं किया जा सकता है। दोनों धाराओं की विषय वस्तु में पर्याप्त अंतर है किन्तु सामान्य तौर पर कब्जा लिखवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय 115–116 लिखकर आवेदन दे दिया जाता है जबकि अपेक्षा यह की जाती है कि जिस धारा की विषयवस्तु के अनुरूप तथ्य हों तद्नुसार ही धारा का उल्लेख कर आवेदन दिया जाना चाहिये और तद्नुसार ही अधीनस्थ नयालय को धारा का स्पष्ट उल्लेख कर प्रकरण निराकृत करना चाहिये।

बिन्दु कमांक 2 पर निष्कर्ष– जहां तक वाद बिन्दु कमांक 2 का प्रश्न है कि क्या संहिता की धारा 115–116 के अन्तर्गत नवीन प्रविि ट की जा सकती है, उपरोक्त वर्णित न्यायदृष्टातों एवं संहिता की धारा 116 में अंकित प्रावधानों के प्रकाश में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि संहिता की धारा 115–116 के अन्तर्गत खसरों में हुई त्रुटियों में सुधार किये जाने का प्रावधान है, किसी प्रकार नवीन प्रविष्टि का किया जाना विधिसंगत नहीं है।

विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक तिजिया द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर धारा 115–116 के तहत कब्जा दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार ने संहिता के प्रावधानों के विपरीत अनावेदक भोला प्रसाद का कब्जा अंकित करने में त्रुटि की है। संहिता की धारा 116 में किसी व्यक्ति के द्वारा त्रुटि सुधार हेतु निर्धारित समयावधि एक वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा प्रकिया का पालन कर उक्त त्रुटि को सुधार करने के आदेश दिये जा सकते हैं, किन्तु नवीन प्रविष्टी की अधिकारिता तहसीलदार को इस धारा के अंतर्गत प्रदान नहीं की गयी है।

4/ इसके अतिरिक्त अब निराकरण हेतु यह बिन्दु शेष रहता है कि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि नायब तहसीलदार ने जांच पड़ताल के पश्चात अपीलार्थी का विवादित भूमि पर कब्जा लिखे जाने का आदेश दिया है । यह कार्यवाही शासन के कार्यापालिक निर्देशों के अनुसार की गई है । ऐसे कार्यापालिक आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 44(1) के तहत अपील अनुविभागीय अधकारी द्वारा न तो सुनी जा सकती थी और न ही प्रचलन योग्य थी। इस आधार पर अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया है ।

5/ अपर आयुक्त का आदेश इसलिये नियमसंगत नहीं है, क्येंकि अपर आयुक्त ने मात्र कार्यापालिक आदेश लिखकर छोड़ दिया है, जबकि उन्हें स्पष्टयतः कार्यापालिक आदेश का क्रमांक और दिनांक अंकित करते हुये यह

परीक्षण करना था, कि सम्बद्ध कार्यापालिक आदेश में निर्धारित की गई प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये, तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया है । इसलिये ऐसा आदेश विधिक और प्रक्रिया के अनुरूप है, किन्तु उनके द्वारा उक्त अनुसार विवेचना नहीं की गई है । फलतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.02.96 विधिनुकूल न होने से निरस्त किया जाता है और निगरानी स्वीकृत की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य